

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/256

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128	192/24	05/6/2024	14/6/24 शुक्र	14/6/24

अनवान

श्री दिलीप कुमार शंकर चण्डेयालाल
लालो बिजौलिया
निवासी

श्री शुक्रेश चण्डेयालाल खेजा
निवासी गोपालपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री शुक्रेश चण्डेयालाल

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

दिलीप

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

किरम मुकदमा -

111-128

बनाम

शुकेरा कौर

नम्बर 192 / 2024

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुवम की तामील
में जारी हुए

प्रार्थना पत्र सीमे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज
रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी
हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 14/6/2024 को पेश
हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

पत्रावली पेश हुई अधिकार प्राप्त
उपस्थित। बिजौलियां की नोटिस तामील
प्राप्त। पत्रावली में शोकेरा पारित
विल गल एवं तलबीलदार बिजौलियां
को पालगर्ज किया जावे। पत्रावली
फैरल शुमार होकर इमन रहे कम
होकर दाखिल करत हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर 5/6/24

प्रकरण संख्या :- 192/24

दिलीप कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति लसोड़ उम्र वयस्क निवासी पथिक नगर
बिजौलियाँ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश पुत्र रोड्डु जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. हरलाल पुत्र सोजी जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. बहादुर पुत्र गोरु जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. शंकर पुत्र मांगु जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 14/6/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 102 पर अंकित आराजी संख्या 247 कुल किता 1 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



3
सुखाड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या - 192/24
प्रेषित :-

तारीख दायर 5/6/24

फैलल - 14/6/24

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 192 / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

दिलीप कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति लसोड़ उम्र वयस्क निवासी पथिक नगर
बिजौलियाँ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश पुत्र रोडु जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. हरलाल पुत्र सोजी जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. बहादुर पुत्र गोरु जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. शंकर पुत्र मांगु जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 102 पर अंकित आराजी संख्या 247 कुल किता 1 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पडौसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा